प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 24.02.2021

<u>थाना डिबाई क्षेत्र से चोरी की गई सरकारी इंसास रायफल मय मैगजीन व 30 कारतूस सहित आरोपी नबल किशोर उर्फ किशोरी लाल गिरफ्तार</u>

ज्ञात हो कि पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी अनुज कुमार को दिनांक 31.01.2021 को थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत सीएचसी कसेर कलाँ में कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया था तथा आरक्षी अनुज कुमार ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ और न ही इस संबंध में उसके द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को कोई सूचना दी गई थी। उक्त आरक्षी दिनांक 03.02.2021 को डियूटी पर उपस्थित हुआ व अपने साथ एक बाहरी व्यक्ति जिसे वह अपने मामा का लड़का बता रहा था ले आया। आरक्षी अनुज कुमार की लापरवाही के कारण कथित मामा के लड़के नबल किशोर द्वारा उसकी इंसास रायफल चोरी कर ली गई थी जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई थी। घटना के संबंध में आरक्षी अनुज कुमार व उसके तथाकथित मामा के लड़के के विरूद्ध थाना डिबाई पर मुअसं- 46/21 धारा 380, 409 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी एवं इंसास रायफल की बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री कमलेश बहादुर व अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेंद्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में स्वाट टीम व सर्विलांस टीम आदि कई टीम गठित कर लगाया गया था। आज दिनांक 24.02.2021 को प्रभारी स्वाट श्री सुधीर कुमार त्यागी मय टीम द्वारा अभियुक्त नबल किशोर को सोनीपत(हरियाणा) देवीलाल लेवर चौक से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की तथा अभियुक्त की निशांदेही पर चोरी की गई सरकारी इंसास रायफल मय मैगजीन व 30 कारतूस थाना शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हलपुरा नहर बम्बा साइफन से बरामद किया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

1. नबल किशोर उर्फ किशोरीलाल पुत्र भागमल निवासी ग्राम शाहपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलंदशहर हाल पता मौ0 खेड़ा कस्बा व थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर।

<u>बरामदगी-</u>

1. चोरी की गई सरकारी इंसास रायफल मय मैगजीन व 30 कारतूस।

अभियुक्त नबल किशोर द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उसके पुत्र (उम्र 17 वर्ष) की छत से गिरकर मृत्यु हो गई थी जिसके लिए वह अपने पड़ोसी प्रमोद को दोषी मान रहा था तथा प्रमोद की हत्या करने के इरादे से अभियुक्त नबल किशोर द्वारा आरक्षी अनुज की इंसास रायफल को उस समय चुरा लिया था जब आरक्षी व अभियुक्त नबलकिशोर एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, इसी दौरान अभियुक्त को अपने बिस्तर के पास छोड़कर आरक्षी ओर शराब खरीदने चला गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में तत्समय आरक्षी अनुज कुमार द्वारा ड्यूटी पर लापरवाही बरतने तथा नशे की हालत में मिलने एवं मेडिकल में अल्कोहल की पुष्टि होने पर, अनुशासनहीन आचरण एवं आमजन में पुलिस की छवि खराब करने के कारण व उसके साथ ड्यूटी पर तैनात आरक्षी सतेन्द्र कुमार व आरक्षी सरशाद खान द्वारा उक्त प्रकरण की जानकारी उच्चाधिकारियों को न देने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। तथा अभियुक्त आरक्षी अनुज कुमार को दिनांक 18.02.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम (क्राईम ब्रांच)-</u>

1- श्री सुधीर कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक स्वाट

2- श्री अखिलेश कुमार गौड़ प्रभारी सर्विलांस सैल

3- उ0नि0 अजयदीप, उ0नि0 धीरज राठी, उ0नि0 अनुराग

4- है0का0 असलम, है0का0 जितेन्द्र यादव, का0 वसीम, का0 कपिन नैन, का0 विशाल चौहान, का0 आकाश नेहरा, है0का0 हरेन्द्र सिंह, है0का0 आशीष, है0का0 मणिकान्त,का0 विकास कुमार, का0 राहुल बालियान, का0 प्रबली तोमर, का0 नीरज त्यागी, का0- प्रवेन्द्र, का0 चालक जितेन्द्र त्यागी